2022/180

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

रजनीश कौर बनाम गुरमीत सिंह वगैरा

अपील प्रकरण सं0 85/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
02.08.2022	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की धर्मपत्नी है तथा रेस्पोडेंट ने अपीलांटा का परित्याग कर रखा है । रेस्पोडेन्ट ने गलत व विधि विरुद्ध रूप से अपीलाण्टा के इकबाल दावा, वकालतनामा व शपथ पत्र पर फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर हासिल की गई एकपक्षीय डिक्री के आधार पर अपीलाण्टा की खातेदारी भूमि 0.759 हैक्टर को अपने नाम करवाई है व राजस्व अभिलेख में नामान्तरण भी अपने नाम दर्ज करवा लिया है जबकि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्टा के कब्जा काश्त में है। रेस्पोडेन्ट अपने नाम भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रश्नगत कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को बैय व मुन्तकिल करने हेतु कटिबद्ध है तथा अपीलाण्टा के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी कारित करने पर आमादा है। अतः प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलाण्टा के पक्ष में है। अतः अपीलाण्टा का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करें तथा अपीलाण्टा के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करें व मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थित का स्थगन आदेश पारित करने का आदेश फरमाया जावें। बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में प्रकरण सं0 371/2021 अनवाणी जयप्रताप वगैरा बनाम मनजीत सिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2021 की पालना में तहसीलदार सादुलशहर द्वारा इन्तकाल संख्या 837/11.11.2021 स्वीकृत किया गया है। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना में तहसीलदार सादुलशहर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रथम दृष्टया अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण अपीलाण्टा की एक पक्षीय स्थगन की इस्तदुआ अस्वीकार की जाकर अपीलार्थीया की अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं होने के कारण अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें। (हस्ताक्षर) अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर	✓